आवेदक जिनके पास विक्रय विलेख (पट्टा) उपलब्ध है, के लिये

<u>जॉच रिपोर्ट ग्राम पंचायत</u>

प्रमाणित किया जाता है कि मुताबिक शपथपत्र एंव दस्तावेजानुसार श्री/श्रीमती/कुमारी.....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री/श्रीमती ....ग्राम.....ग्राम पंचायत..... तहसील.....जिला.....का/की निवासी है।

ग्राम पंचायत में उपलब्ध रिकॉर्ड, प्रार्थी के शपथपत्र एंव संलग्न दस्तावेजानुसार प्रार्थी/प्रार्थी के परिवार के .....(पिता/माता/पुत्र/पत्नी /स्वयं) श्री/श्रीमती/कुमारी.....पुत्र/पुत्री/पत्नी.....के नाम ग्राम पंचायत .....पंचायत समिति.....द्वारा .....वर्ग गज /वर्ग मीटर का विक्रय विलेख (पट्टा) संख्या .....दिनांक ..... को जारी किया गया है।

प्रार्थी का राशन कार्ड संख्या..... है।

हस्ताक्षर

ग्राम विकास अधिकारी

ग्राम पंचायत.....

आवेदक जिनके पास विक्रय विलेख(पट्टा) उपलब्ध नहीं है, के लिये

जॉच रिपोर्ट ग्राम पंचायत

प्रमाणित किया जाता है कि मुताबिक शपथपत्र एंव दस्तावेजानुसार श्री / श्रीमती / कुमारी.....पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री / श्रीमती .....ग्राम.....ग्राम पंचायत..... तहसील.....जिला.....का / की निवासी है।

ग्राम पंचायत में उपलब्ध रिकॉर्ड, प्रार्थी के शपथपत्र एंव संलग्न दस्तावेजानुसार प्रार्थी एंव प्रार्थी के परिवार (पिता / माता / पुत्र / पत्नी) के नाम ग्राम पंचायत ..... पंचायत समिति.....द्वारा कोई विक्रय विलेख (पट्टा) जारी नहीं किया गया है।

प्रार्थी का राशन कार्ड संख्या..... है।

हस्ताक्षर

ग्राम विकास अधिकारी

ग्राम पंचायत.....

आवेदक जिनके पास विक्रय विलेख(पट्टा) उपलब्ध है, के लिये

शपथ–पत्र

मैं .....पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री / श्रीमती..... .....जाति.....ग्राम.....ग्राम पंचायत..... तहसील.....जिला.....राजस्थान का/की निवासी हूॅ।

मै शपथपूर्वक बयान करता/करती हूॅ कि :–

1 मेरे एंव मेरे परिवार के .....(पिता/माता/पुत्र/पत्नी /स्वयं) श्री / श्रीमती / कुमारी .....पुत्र/पुत्री /पत्नी.....के नाम से वास्तविक आवासीय भूखण्ड का ग्राम पंचायत .....पंचायत समिति ..... जिला .....द्वारा विक्रय विलेख (पट्टा) संख्या..... दिनांक .....को ....वर्ग गज / वर्ग मीटर का जारी किया गया है।

2 यह है कि उक्त पट्टे के अतिरिक्त मेरे पास अन्य कोई आवासीय भूखण्ड नहीं है।

3 मै आर्थिक कमजोर वर्ग के निर्धारित समस्त मापदण्डों को पूर्ण करता/करती हूॅ।

4 आवेदन पत्र एंव शपथ पत्र मे वर्णित समस्त तथ्य सही है मेरे द्वारा कोई तथ्य छुपाया नहीं गया है ।

हस्ताक्षर शपथग्रहिता

सत्यापन

मै सत्यापित करता/करती हूॅ कि उपर्यूक्त प्रविष्टियॉ मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही एंव सत्य है । मेरे द्वारा दिये गये शपथ पत्र मे किसी भी सूचना के मिथ्या या गलत पाये जाने की दशा में मै स्वयं जिम्मेदार रहूगां/रहूगीं।

ईश्वर मेरा साक्षी है।

हस्ताक्षर शपथग्रहिता

नोटरी प्रमाणित

आवेदक जिनके पास विक्रय विलेख(पट्टा) उपलब्ध नहीं है के लिये

शपथ–पत्र

मैं .....पुत्र / पुत्री /पत्नीश्री / श्रीमती.....जाति.....ग्राम..... ग्राम पंचायत.....तहसील.....जिला.....राजस्थान का/की निवासी हूॅ।

मै शपथपूर्वक बयान करता/करती हूॅ कि :–

1 मेरे एंव मेरे परिवार के परिवार (पिता/माता/पुत्र/पत्नी) के नाम ग्राम पंचायत ....पंचायत समिति.....द्वारा कोई विक्रय विलेख(पट्टा) जारी नहीं किया गया है।

2 यह है कि मेरे पास कोई आवासीय भूखण्ड नहीं है।

3 मै आर्थिक कमजोर वर्ग के निर्धारित समस्त मापदण्डों को पूर्ण करता/करती हूॅ।

4 आवेदन पत्र एंव शपथ पत्र मे वर्णित समस्त तथ्य सही है मेरे द्वारा कोई तथ्य छुपाया नहीं गया है ।

हस्ताक्षर शपथग्रहिता

सत्यापन

मै सत्यापित करता/करती हूॅ कि उपर्यूक्त प्रविष्टियॉ मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही एंव सत्य है । मेरे द्वारा दिये गये शपथ पत्र मे किसी भी सूचना के मिथ्या या गलत पाये जाने की दशा में मै स्वयं जिम्मेदार रहूगां/रहूगीं।

ईश्वर मेरा साक्षी है।

हस्ताक्षर शपथग्रहिता

नोटरी प्रमाणित

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी–3/1, अम्बेडकर भवन राजमहल पैलेस के पीछे जयपुर।

क्रमांक : प.11 ( ) आ.क.व/डीडीबीसी/सान्याअवि/19/19467-97 जयपुर, दिनांक 4.अप्रेल, 2019

समस्त जिला कलेक्टर,

.....

विषय : आर्थिक कमजोर वर्गो (Economically Weaker Sections) के व्यक्तियों को Income & Assest Certificate जारी करने के सम्बन्ध में।

प्रसंग : पूर्व में जारी परिपत्र क्रमांक एफ 11 ( ) आ.क.व/डीडीबीसी/ सान्याअवि/ 19/14278 दिनांक 12.03.2019 के अनुकम में।

महोदय,

जैसा कि विदित है, युवाओं के सरकारी भर्ती एवं शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु E.W.S. Certificate सम्बंधी प्रार्थना पत्रों का निस्तारण अतिशीघ्र करना अपेक्षित है। कतिपय जिलों में प्रार्थनापत्रों के निस्तारण में अत्यधिक समय लगने की सूचना सम्बंधित पोर्टल के अध्ययन से स्पष्ट है।

विषयान्तर्गत प्रासांगिक परिपत्र द्वारा आर्थिक कमजोर वर्गों (Economically Weaker Sections) के व्यक्तियों को Income & Assest Certificate जारी करने के सम्बन्ध में निर्देश जारी किये गये थे। उक्त परिपत्र के सन्दर्भ में राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया है कि आवेदक की कृषि सम्बन्धी सम्पत्ति का रिकार्ड तो हल्का पटवारी के पास रहता है परन्तु आवेदकों की ग्रामीण एवं शहरी आबादी क्षेत्र में स्थित सम्पत्ति का अभिलेख क्रमशः ग्राम विकास अधिकारी एवं शहरी निकायों के पास रहता है।

इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि आवदेकों की सम्पूर्ण सम्पत्ति की जानकारी प्राप्त करने के दृष्टिकोण से उक्त प्रमाण पत्र जारी करने वाले सक्षम अधिकारियों (SDM) द्वारा ग्रामीण एवं शहरी आबादी क्षेत्र में स्थित सम्पत्ति की जानकारी क्रमशः ग्राम विकास अधिकारी एवं शहरी निकायों के समक्ष अधिकृति से भी प्राप्त की जा सकती है।

अतः इस सम्बन्ध में सभी समक्ष अधिकारियों द्वारा उक्तानुसार कार्यवाही कर प्राप्त पार्थनापत्रों के क्रम में समयबद्व निस्तारण करते हुए पात्र व्यक्तियों के प्रमाण पत्र जारी करना सुनिश्चित करावें।

इसक अलावा सतत् पर्यवेक्षण एवं सम्बंधित कार्यालयों में समन्वयन सुनिश्चित करने के लिये एक ADM स्तर के अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त कर अधोहस्ताक्षरकर्ता को अवगत करायें।

भवदीय,

(अखिल अरोरा)
प्रमुख शासन सचिव

क्रमांक : प.11 ( ) आ.क.व/डीडीबीसी/सान्याअवि/19/19498-698 जयपुर, दिनांक 4.अप्रेल, 2019

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रमुख सचिव/सचिव, मा. मुख्यमंत्री महोदय, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, मा. मंत्री महोदय, समस्त केबिनेट/राज्यमंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, ...
5. समस्त विभागाध्यक्ष, ...

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

एफ.4(16)दिशा–निर्देश/विधि/पंरा/2016/325 जयपुर, दिनांक: 19-4-2017

:: परिपत्र ::

राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया है कि कतिपय ग्राम पंचायतों द्वारा स्वयं स्तर पर स्वामित्व प्रमाण–पत्र अथवा किसी निजी भवन के विक्रय आदि के सम्बन्ध में संबंधित पक्षकार को अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी किये जा रहे हैं । इस सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 एवं राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में इस तरह के प्रमाण–पत्र ग्राम पंचायतों द्वारा जारी किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है ।

अतः ग्राम पंचायतों द्वारा उपरोक्तानुसार स्वामित्व प्रमाण–पत्र अथवा अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी नहीं किया जाये ।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है ।

(ललित कुमार)
उप शासन सचिव(विधि)

Read letter
to BDO

21/4/17

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. विशिष्ट सहायक, मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, राजस्थान, जयपुर ।
2. निजी सचिव, राज्य मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, राजस्थान, जयपुर ।
3. निजी सचिव, अति० मुख्य सचिव, ग्रा० वि० एवं प० राज, राजस्थान, जयपुर ।
4. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज, राजस्थान, जयपुर ।
5. समस्त अधिकारीगण, पंचायती राज विभाग, जयपुर ।
6. सम्भागीय आयुक्त, समस्त, राजस्थान ।
7. ज़िला कलेक्टर, समस्त, राजस्थान ।
8. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त, राजस्थान ।
9. अति० मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त, राजस्थान ।
10. विकास अधिकारी, पंचायत समिति समस्त, रारजस्थान ।
11. रक्षित पत्रावली ।

उप शासन सचिव(विधि)

अति आवश्यक

कार्यालय जिला परिषद, जयपुर

क्रमांक :–2195 दिनांक :–21-4-17

प्रतिलिपि विकास अधिकारी पंचायत समिति (समस्त) को इस आशय के साथ प्रेषित है कि आप अपने-अपने क्षेत्र की समस्त पंचायत समिति परिषद को जानकारी करवाने की कृपा करें ।

अति मुख्य कार्यकारी अधिकारी

दिनांक

आदेश

अपील संख्या – 5513/2011

श्री प्रेम सिंह गहलोत	बनाम	राज्य लोक सूचना अधिकारी
गणेश पेठ बाजार,		सचिव
जैन मंदिर के पास, प्रेम सदन		ग्राम पंचायत सोजत सिटी,
मु.पोस्ट सोजत सिटी,		जिला पाली (राज.)
जिला पाली (राज.)		

21-10-2014

1. उभय पक्ष की ओर से बावजूद नोटिस कोई भी उपस्थित नहीं।
2. मैंने पत्रावली में उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया।
3. अपीलार्थी ने एक स्व. श्री नाथू सिंह को जारी पट्टे की प्रति चाही थी। प्रथम दृष्टया यह सूचना तृतीय पक्षकार से संबंधित निजी सूचनाएं हैं, जो प्रत्यर्थी द्वारा प्रदान कर दी गई है एवं अपीलार्थी ने सूचना प्राप्त होना स्वीकार किया है। स्वीकारोक्ति के अनुक्रम में कोई कार्यवाही शेष नहीं रह जाती है।
4. मैं प्रत्यर्थी पक्ष को सलाह देना चाहूँगा कि तृतीय पक्षकार से संबंधित निजी सूचना बिना उसकी सहमति के प्रदान की जाना विधि सम्मत नहीं है। इसका भविष्य में ध्यान रखा जावे।
5. ऐसी स्थिति में वर्तमान अपील में अब अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है और यह खारिज होने योग्य है।
6. अस्तु, वर्तमान अपील को खारिज किया जाता है।
7. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।

(डा. पी. एल. अग्रवाल)
सूचना आयुक्त

Authenticated
Registrar
Raj. Information Commission
JAIPUR

मिश्रा